भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1396

जिसका उत्तर मंगलवार 25 जुलाई, 2017 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना

1396. श्री कंवर सिंह तंवरः

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना को सटीक बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (जिन्हें सामूहिक रूप से एक्सईवी कहा जाता है) के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2011 में नेशनल मिशन ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलीटी का अनुमोदन किया और उसके बाद 2013 में नेशनल मोबिलीटी मिशन प्लान 2020 की शुरुआत की। यह मिशन प्लान मुख्यतः देश में ईंधन सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी प्रदूषण पर विचार करने के लिए तैयार किया गया है।

हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इसकी सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तथा इस मिशन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारी उद्योग विभाग ने फेम इंडिया (भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण) नामक स्कीम तैयार की है, जो कि 1 अप्रैल, 2015 (चरण-I) से शुरू होकर 2 वर्षों की शुरूआती अवधि के लिए है। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुपर क्रेडिट की सुविधा मुहैया कराने वाली यात्री कारों के लिए ईंधन दक्षता मानक भी अधिसूचित किए हैं।

फेम स्कीम की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार इस स्कीम के चरण-I के परिणाम और अनुभव के आधार पर उपयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी। फेम स्कीम का चरण-I, जो शुरुआत में 1 अप्रैल, 2015 से प्रारम्भ होकर 2 वर्ष की अवधि के लिए था, को इस स्कीम के तहत माइल्ड हाइब्रिड प्रोद्योगिकी के लिए उपलब्ध लाभों के समाप्त होने तक मामूली संशोधन के साथ 1 अप्रैल, 2017 से 6 माह की अवधि अर्थात् 30 सितम्बर, 2017 तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय ने सूचित किया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों को ऊर्जा देने वाली अपने बैटरियों को चार्ज करने के लिए बिजली ग्रिड से लेने की जरूरत है। वर्तमान में मौजूदा आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त क्षमता है।

******